

पत्र संख्या-१३/विंमं०-१४२०२४ सा० ७३
बिहार सरकार
सामान्य प्रशासन विभाग

प्रेषक,

सत्यम सहाय,
विशेष कार्य पदाधिकारी ।

सेवा में,

अपर मुख्य सचिव,
मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग, बिहार, पटना ।
प्रबंधक,
बिहार विकास मिशन, बिहार, पटना ।

विषय -

मा० श्री तरुण कुमार (समस्तीपुर स्थानीय प्राधिकार), स०वि०प० द्वारा बिहार विधान परिषद् के २०६ वें सत्र में पूछा जाने वाला ऑन-लाईन अल्पसूचित प्रश्न संख्या-१२०६५९० के स्थानांतरण के संबंध में ।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय बिहार विधान परिषद् सचिवालय के बेवसाईट से प्राप्त ऑन-लाईन अल्पसूचित प्रश्न संख्या-१२०६५९० द्वारा इस विभाग के लागेन से प्राप्त है। आलोच्य प्रश्न संख्या-१२०६५९० का विषयवस्तु "बिहार में गत दिनांक-२०-०३-२०२३ को मुख्य प्रबंधक, बिहार विकास मिशन, पटना की अध्यक्षता में बिहार राज्य सिंगल विंडो ऑपरेटर/मल्टी परपस असिस्टेंट संघ की मांगों पर वार्ता की गयी थी, वार्ता में संघ की पाँचों मांगों से सम्बंधित निर्णय भी लिए गये थे, तो क्या सरकार यह बताना चाहती है कि लिए गये पाँचों निर्णयों पर मिशन द्वारा आवश्यक कार्यवाही की गई है, यदि नहीं तो क्यों एवं विभाग इस पर क्या कर रही है तथा निर्णय पर कार्यवाही करने में कितना समय लग सकता है, से सम्बंधित है,"। उक्त विषय मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग, बिहार, पटना / बिहार विकास मिशन, पटना से संबंधित रहने के कारण आलोच्य तारांकित प्रश्न की प्रति वांछित कार्रवाई हेतु संलग्न है।

अतः अनुरोध है कि अल्पसूचित प्रश्न का उत्तर मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग, बिहार, पटना / बिहार विकास मिशन, पटना से देने की कृपा की जाय। साथ ही उत्तर की एक प्रति सामान्य प्रशासन विभाग, पटना को भी उपलब्ध कराने की कृपा की जाए। इस आशय की सूचना बिहार विधान परिषद् सचिवालय को दी जा रही है।

अनु०-यथोक्त ।

विश्वासभाजन,

ज्ञापांक-१३/वि०मं०-१४२०२४-सा० ७३ पटना-१५, दिनांक- २७ फरवरी, २०२४

प्रतिलिपि- प्रशाखा पदाधिकारी, बिहार विधान परिषद् सचिवालय, पटना के ऑन-लाईन अल्पसूचित प्रश्न संख्या-१२०६५९० के क्रम में प्रेषित तथा अनुरोध है कि उक्त ऑन-लाईन अल्पसूचित प्रश्न संख्या-१२०६५९० को सामान्य प्रशासन विभाग, पटना की सूची से विलोपित कर मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग, बिहार, पटना / बिहार विकास मिशन, पटना की सूची में रखने की कृपा की जाय।

2. उप सचिव, संसदीय कार्य विभाग, बिहार, पटना / विभागीय प्रभारी मंत्री के आप्त सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

विशेष कार्य पदाधिकारी ।

कृ० पू० ७०

ज्ञापांक-१३विं०मं०-१४/२०२४-सा० ७३ पटना-१५, दिनांक- २० फरवरी, २०२४
प्रतिलिपि-आई०टी० मैनेजर, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना को बिहार विधान
परिषद् सचिवालय के बेवसाईट पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


विशेष कायदा पदाधिकारी।

अल्प सूचित प्रश्न

बिहार विधान परिषद्

(1)

बिहार विधान परिषद् प्रश्न

अल्प सूचित प्रश्न डायरी संख्या: 1/206/590

विषय:

निर्णय पर कार्यकारी

सूचना प्राप्ति दिनांक: 07/02/2024

16/02/2024

1/206/590 श्री तरुण गुप्ता (समस्तीयु स्थानीय प्राधिकार)

क्या मंत्री, सामान्य प्रशासन क्या मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि-

- (क) क्या यह सही है कि बिहार में गत दिनांक 20.03.2023 को गुरुवार, बिहार विधान परिषद् की आधिकारी में बिहार सामान्य प्राधिकार विभाग ऑपरेटर/ मन्त्री परिषद् अधिसंचेद संघ की मांगों पर जाती की वाली थी;
- (ख) क्या यह सही है कि ऊपर के ने वार्षिक तिथि को एक बारी दोष की घोषणा परामर्श समिति ने लिए गये थे;
- (ग) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार यह बताना चाहती है कि लिए गये जारी पांचों नियमों पर विधान द्वारा आवश्यक कार्यकारी की वार्षिक, यदि नहीं तो क्यों एवं विधान द्वारा इस कर रही है उसी नियम पर कार्यकारी करने में किसी राज्य सभा नहीं है?

① N.- 678/ग्र0-13
16/02/2024